



भारत सरकार / Government of India

परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy

परिवर्ती ऊर्जा साइकलोट्रॉन केंद्र / Variable Energy Cyclotron Centre

1/ए.एफ., बिधान नगर/1/AF, Bidhan Nagar,

कोलकाता/Kolkata – 700064

सं./No. VECC/DIR/TPC/2026(183)/ 282

फ़रवरी/February 25, 2026

कार्यालय आदेश संख्या/OFFICE ORDER No. 01 - 2026

इस विषय पर पूर्व के सभी कार्यालय आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, निविदा एवं क्रय समिति का एतद्वारा पुनर्गठन किया जाता है:

In supersession of all previous office orders on the subject, the Tender and Purchase Committee is hereby reconstituted as under:

- | | | |
|--|-----|--|
| 1. डॉ. अंजन दत्त गुप्त, उत्कृष्ट वैज्ञानिक
Dr. Anjan Dutta Gupta, OS | --- | अध्यक्ष/Chairman |
| 2. डॉ. मलय कान्ति डे, वैज्ञानिक अधिकारी (एच)
Dr. Malay Kanti Dey, SO(H) | --- | सदस्य/Member |
| 3. डॉ. शर्मिष्ठा भट्टाचार्य, वैज्ञानिक अधिकारी (एच)
Dr. Sarmishtha Bhattacharyya, SO(H) | --- | सह-अध्यक्ष/Co-Chairman |
| 4. डॉ. संदीप पाल, वैज्ञानिक अधिकारी (एच)
Dr. Sandip Pal, SO(H) | --- | सदस्य/Member |
| 5. श्री अनिन्द्य रॉय, वैज्ञानिक अधिकारी (एच)
Shri Anindya Roy, SO(H) | --- | सदस्य/Member |
| 6. डॉ. सिद्धार्थ देचौधरी, वैज्ञानिक अधिकारी (एच)
Dr. Siddhartha Dechoudhury, SO(H) | --- | सदस्य/Member |
| 7. डॉ. गायत्री एन बनर्जी, वैज्ञानिक अधिकारी (एच)
Dr. Gayathri N. Banerjee, SO(H) | --- | सदस्य सचिव/Member Secretary |
| 8. श्री समित बंद्योपाध्याय, वैज्ञानिक अधिकारी (एच)
Shri Samit Bandyopadhyay, SO(H) | --- | सदस्य/Member |
| 9. डॉ. कौशिक बनर्जी, वैज्ञानिक अधिकारी (एच)
Dr. Kaushik Banerjee, SO(H) | --- | सदस्य/Member |
| 10. डॉ. अनिर्बन दे, वैज्ञानिक अधिकारी (जी)
Dr. Anirban De, SO(G) | --- | सदस्य सचिव (एकांतर)/
Member Secretary (alternate) |
| 11. डॉ. उत्तम भुनिया, वैज्ञानिक अधिकारी (जी)
Dr. Uttam Bhunia, SO(G) | --- | सदस्य/Member |
| 12. श्रीमती सुदेशना सेठ, वैज्ञानिक अधिकारी (जी)
Smt. Sudeshna Seth, SO(G) | --- | सदस्य/Member |
| 13. श्री सुब्रत साहा, वैज्ञानिक अधिकारी (जी)
Shri Subrata Saha, SO(G) | --- | सदस्य/Member |
| 14. श्री दीप्त प्रतिम दत्त, वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)
Shri Dipta Pratim Dutta, SO(F) | --- | सदस्य/Member |
| 15. भुगतान एवं लेखा अधिकारी/
सहायक लेखा अधिकारी, वीईसीसी
PAO/AAO, VECC | --- | सदस्य/Member |
| 16. क्रय अधिकारी, सीआरपीयू, डीपीएस, कोलकाता
Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata | --- | सदस्य/Member |

समिति अपनी किसी विशेष बैठक में, किन्हीं विशिष्ट मुद्दों, यदि कोई हो तो, पर विचार-विमर्श करने हेतु एक अथवा दो विशेषज्ञ सदस्यों का संयुक्त रूप में चयन कर सकती है।

The Committee may co-opt one or two specialist members when items of special nature, if any, are to be discussed in any particular meeting.

समिति के कार्य क्षेत्र तथा कार्य इस प्रकार होंगे :

The scope and functions of the Committee shall be as follows :

- 1) समिति उपस्करों तथा उपभोज्यों की खरीद किये जाने तथा उनके संग्रहण हेतु अधोहस्ताक्षरी को नीतिगत निर्णयों की सिफारिश करेगी, जिनकी कीमत प्रत्येक मामले में 50,000/- से अधिक होगी और जो संभावित मानकीकृत सामान्य आवश्यक वस्तुओं अथवा उपकरणों तथा संग्रहण की सीमा तक हो।
The committee shall recommend policy decisions to the undersigned for procurement and stocking of equipment and consumable, the value of which exceeds Rs. 50,000/- in each case and to the extent possible standardize commonly required items or equipment and stores.
- 2) समिति विभिन्न मांगकर्ता अधिकारियों से प्राप्त होने वाली मांगों के तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं का अध्ययन तथा सिफारिश करेगी और जहां कहीं भी आवश्यक हो, वहां अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बजट प्रकोष्ठ से परामर्श करेगी। परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबंधक, वर्ग प्रमुख, प्रभाग प्रमुख और अनुभाग प्रमुख समय-समय पर उनको प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांगपत्रों को अनुमोदित करते रहेंगे।
The committee shall study and recommend on the technical and financial aspects of indents as may be received from various indenting officers, wherever necessary in consultation with the Budget Cell for being approved by the undersigned. Project Directors, Project Managers, Group Heads, Division Heads and Section Heads will continue to approve indents as per the financial powers delegated to them from time to time.
- 3) इस आदेश में निर्धारित वित्तीय सीमाओं तथा/अथवा कोई अन्य बाद के प्रत्यायोजन के अधीन, यह समिति परमाणु ऊर्जा विभाग की क्रय प्रक्रिया, वित्तीय शक्तियों के प्रयोग (प.ऊ.वि.) नियमावली, 1978 तथा आंतरिक वित्तीय सहमति के अधीन अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनार्थ इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों और प्रत्यायोजित आदेशों के अधीन डीपीएस तथा सीआरपीयू से प्राप्त शिकायतों/मामलों का अध्ययन करेगी और इनपर अपना निर्णय लेगी।
Subject to the financial limits laid down in this order and/or any other subsequent delegation, the Committee shall also study and recommend case files as may be received from DPS and CRPU in accordance with the DAE Purchase procedure, Exercise of Financial Powers (DAE) Rules, 1978 and its time to time amendments and delegation orders made there under for approval by the undersigned, subject to concurrence of the Internal Finance.
- 4) यह समिति डीपीएस तथा सीआरपीयू द्वारा प्रस्तुत मांगपत्रों के तीव्र प्रक्रमण के लिये, इन संगठनों के समन्वयन से, अनुवर्ती कार्रवाई कर सकती है अथवा इन पर अपना सुझाव दे सकती है।
The committee shall also take or suggest necessary follow up action for expeditious processing of indents placed on DPS or CRPU as the case may be in close coordination with these organizations.
- 5) ₹. 75.00 लाख से अधिक की खरीद किये जाने से संबंधित मांगपत्रों और ऐसी संबंधित फाइलों को अनुमोदन हेतु विशेष क्रय समिति (एसपीसी), वी.ई.सी.सी. द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा। हालांकि, मालिकाना आधार पर अथवा नामांकन आधार पर की गई खरीद हेतु इसकी सीमा ₹. 50.00 लाख होगी।
Indents and case files for purchases exceeding Rs. 75.00 lakhs shall be processed further by Special Purchase Committee (SPC), VECC for approval. However, this limit would be Rs. 50.00 lakhs for the purchases being made on proprietary or nomination basis.

- 6) समिति रू. 50.00 लाख रुपये और उससे ज्यादा कीमत वाले आइटम के लिए वी.ई.सी.सी के निदेशक की सहमति से टेक्निकल मूल्यांकन समिति बनाने की सिफारिश करेगी। अगर ज़रूरी लगे तो स्पेशल आइटम के लिए यह लिमिट कम हो सकती है।

The committee shall recommend formation of technical evaluation committee with concurrence of Director, VECC for items costing Rs. 50.00 lakhs and above. This limit may be lower for specialized items if felt necessary.

- 7) समिति यथासंभव रूप से और आवश्यक होने पर अपनी बैठक आयोजित करेगी लेकिन किसी भी मामले में उनकी बैठक एक माह में दो बार से अधिक नहीं होगी।

The committee will meet as often as possible and necessary but in any case not less than twice in a month.

यह आदेश दिनांक 26 फ़रवरी, 2026 से प्रभावी होगा।

The order will take with effect from 26th February, 2026.


25/02/2026
(वैशाली नाइक/Vaishali Naik)
निदेशक/Director

ई-परिचालनार्थ/E-CIRCULATION TO:

अध्यक्ष तथा समिति के सभी सदस्य/Chairperson & All Members of the Committee

वितरण/Distribution:

- सभी वर्ग/प्रभाग/अनुभाग प्रमुख, वीईसीसी/All Heads of Groups/Divisions/Sections, VECC
- सतर्कता अधिकारी, वीईसीसी/Vigilance Officer, VECC
- वेब सूचना प्रबंधक, वीईसीसी/Web Information Manager, VECC
- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वीईसीसी/Chief Administrative Officer, VECC
- उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वीईसीसी/Deputy Chief Security Officer, VECC
- प्रशासनिक अधिकारी-III, वीईसीसी/Administrative Officer (III), VECC
- वेतन एवं लेखा अधिकारी, वीईसीसी/Pay & Accounts Officer, VECC
- क्रय अधिकारी, सीआरपीयू, डीपीएस, कोलकाता/Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata
- भंडार अधिकारी, डीपीएस, कोलकाता/Stores Officer, DPS, Kolkata
- प्रभारी अधिकारी, एचपीयू, वीईसीसी, कोलकाता/Officer Incharge, HPU, VECC, Kolkata
- प्रभारी अधिकारी, ब्रिट, कोलकाता/Officer Incharge, BRIT, Kolkata
- प्रभारी अधिकारी, टीएलडी यूनिट, वीईसीसी, कोलकाता/Officer Incharge, TLD Unit, VECC, Kolkata

प्रतिलिपि/Copy to:

1. निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय, वी.एस. भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400 094
Director, Directorate of Purchase & Stores, V. S. Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai-400 094
2. संयुक्त सचिव (आरएंडडी-1), परमाणु ऊर्जा विभाग, अणुशक्ति भवन, सीएसएम मार्ग, मुंबई-40001
Joint Secretary (R&D-1), Department of Atomic Energy, Anushakti Bhavan, CSM Marg, Mumbai-400 001